

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 85

राजस्व विभाग

दिनांक 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक सुश्री भावना गौड़ जी

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या ये सत्य है कि पालम विधान सभा के साध नगर क्षेत्र में जेबीएम स्कूल के सामने कुछ जमीन खाली पड़ी है;	यह क्षेत्र Section 22(1), Delhi Development Act, 1957 के अन्तर्गत दिनांक 19/08/2002 के नोटिफिकेशन के द्वारा शहरीकृत कर दिया गया है अतः यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण विभाग के अधीन आता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस संबंध में सूचना मांगी गई है।
ख)	यह जमीन पैमाइश के हिसाब से कितनी है;	
ग)	यदि हाँ, तो इस जमीन की देखभाल कौन-सा विभाग कर रहा है;	
घ)	क्या यह सत्य है इस खाली पड़ी जमीन पर कुछ भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है; और	
ङ)	यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

Ajaya
(अजय अरोड़ा)
एसडीएम-6 (मुख्यालय)

AJAY ARORA
SDM-VI (HQ)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54